

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक:- ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2024/डी-1729

दिनांक:- 18/11/2024

(भवन निर्माण स्वीकृति पत्र)

टी.एम.वी. इन्फ्राहाइट्स एलएलपी,
जरिये पार्टनर,
श्री ठाकुर प्रसाद पालीवाल,
निवासी:- जी-3, 4, तमन्ना टॉवर,
आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।

विषय:- खसरा नम्बर 362/183, ग्राम कनकपुरा, तहसील जयपुर, जिला जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 295वीं बैठक दिनांक 09.07.2024 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णयानुसार भवन निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है:-

1.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	5965.75 व.मी. 989.25 व.मी. (सड़क मार्गाधिकार में समर्पित भूमि)
2.	भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई	24 मीटर व 9 मीटर
3.	लीजडीड जारी दिनांक	18.01.2024 भू-उपयोग:- ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ
4.	पुर्नगठित/एकल पट्टा/उप विभाजन	आवासीय एकल पट्टा (ग्रुप हाउसिंग)
5.	प्रस्तावित भवन मानचित्रों का प्रयोजन	ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।
6.	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	श्री पुनित दुआ, सी.ए./2005/35530

अनुमोदित मानदण्ड:-

1.	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि	यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात दिनांक 17.11.2031 तक प्रभावी होगी।			
2.	सैटबैक	सामने-I	पार्श्व-I	पार्श्व-II	पीछे
		11.25 मी.	11.25 मी.	11.25 मी.	11.25 मी.
3.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	42,677.87 व.मी.			
4.	बी.ए.आर.	4.97 (29,652.65 व.मी.)			
5.	आच्छादित क्षेत्रफल	34.89 प्रतिशत (2081.48 व.मी.)			
6.	ऊँचाई	0.45 मी. (प्लिन्थ) + 4.1 मी. (भूतल) + 37.20 (प्रथम से 12 तल) + 3.2 मी. (13वां तल) = 44.50 मी. (प्लिन्थ छोड़कर) + 5 मी. (मशीन रूम) कुल 49.95 मी. (02 बेसमेन्ट + भूतल + 13 तल)			
7.	पार्किंग	कार	स्कूटर	बस	कुल ईसीयू
		सरफेस	मैकेनिकल		
		216	-	216	-
					291 ईसीयू

तथ्य:-

1.	प्रथम अनुमोदन/संशोधन	प्रथम अनुमोदन
2.	समिति की बैठक संख्या एवं दिनांक	295वीं बैठक दिनांक 09.07.2024

अनापत्ति प्रमाण पत्र:-

1.	अग्निशमन विभाग	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
2.	पर्यावरण विभाग का Consent to operate	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
3.	भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग	एयरपोर्ट एन.ओ.सी. दिनांक 30.05.2024 के अनुसार 70 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 29.05.2032 तक प्रभावी है। साईट कॉर्डिनेट्स निम्नानुसार है।

RajKaj Ref
11820357



Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2024.11.18 15:34:00 IST
Reason: Approved

	26 54 36.80 N	75 42 28.90 E	
--	---------------	---------------	--

सामान्य शर्त:-

1. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन-07, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
2. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
3. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
4. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
5. विकासकर्ता द्वारा भवन के परिसर को स्वीकृत मानचित्र में दर्शित/निर्धारित अनुसार ही उपयोग में लिया जावेगा।
6. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(x) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओं यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाएँ, वातानुकूल सेवाएँ आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाईन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबंधित किये गये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही प्रमाणित किये हुये, अधिकतम 90 दिवस की अवधि में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
7. प्रकरण बहुमंजिला भवन होने के कारण भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(xi) के अनुसार आप द्वारा भवन में अग्निशमन संबंधित प्रावधान एन.बी.सी. के अनुसार रखे जाने आवश्यक होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात अधिवास प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. परियोजना में भूखण्ड के क्षेत्रफल, प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल एवं ऊँचाई अनुसार भवन विनियम 2020 से संबंधित प्रावधान संख्या 10.11 (पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम), नियम 10.11.1 (वर्षा जल संग्रहण), 10.11.2 व नविवि के आदेश दिनांक 07.09.2021 (अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु प्रावधानों की अनुपालना) 10.11.3 (पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण), 10.11.4 (सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल), 10.11.5 (सौर ऊर्जा संयंत्र), 10.11.2.5 व 16.3 (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट), 12.1 (पार्किंग क्षेत्र की पालना), 12.3 (विद्युत आवश्यक की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधान), विनियम संख्या 15 (निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया), नियम संख्या 15.5 (भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण) के प्रावधानों की अनुपालना की जानी होगी।
9. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता की जावेगी।
10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
11. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastructure (CTI) के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
12. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सडकों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित किया जाना होगा।
13. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जाना होगा।
14. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (तड़ित चालक) का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।
15. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग उपलब्ध करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।

RajKaj Ref
11820357

Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2024.11.18 15:34:00 IST
Reason: Approved

16. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्प्ले) लगवाया जावे।
17. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं हैं।
18. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
19. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
20. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
21. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
22. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना के अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग एवं पर्यावरण विभाग का Consent to operate नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
23. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात नियमानुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं।
24. आप द्वारा लेबर सेस की प्रति वर्ष शेष राशि स्वयं के स्तर पर लेबर विभाग में जमा करवाई जानी होगी।

विशेष शर्त:-

1. प्रश्नगत भूखण्ड की फ्री होल्ड डीड दिनांक 18.01.2024 को जारी की गई हैं। अतः भवन निर्माण अवधि 7 वर्ष अर्थात दिनांक 17.01.2031 तक देय होगी।
2. यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात दिनांक 17.11.2031 तक प्रभावी होगी।
3. यह भवन निर्माण स्वीकृति आप द्वारा मांग राशि जमा होने एवं बेटरमेन्ट लेवी हेतु निम्नानुसार पांच उत्तर दिनांकित चैक प्रस्तुत किये जाने के आधार पर दी जा रही है:-

बैंक का नाम	चैक संख्या	राशि	किश्त	दिनांक
IDFC BANK	000012	1,00,39,140 /-	प्रथम किश्त	24.10.2025
	000013	1,00,39,140 /-	द्वितीय किश्त	24.07.2026
	000014	1,00,39,140 /-	तृतीय किश्त	24.04.2027
	000015	1,00,39,140 /-	चतुर्थ किश्त	24.01.2028
	000016	1,00,39,140 /-	पंचम किश्त	24.10.2028

यदि आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होते हैं तो नियमानुसार ब्याज देय होगा एवं आप द्वारा बेटरमेन्ट लेवी राशि जमा नहीं करवाये जाने पर भवन निर्माण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 276वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होने पर भविष्य में आपकी किसी भी अन्य परियोजना का जविप्रा द्वारा अनुमोदन नहीं किया जावेगा तथा मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) द्वारा जविप्रा एक्ट की धारा 32, 33, 34ए एवं अन्य संबंधित धाराओं के प्रावधानानुसार उक्त परियोजना का कार्य को मौके पर रूकवाने हेतु सूचित किया जाकर प्रवर्तन शाखा द्वारा भवन को सीज करने की अविलम्ब कार्यवाही की जावेगी।

4. प्रश्नगत परियोजना पर प्रस्तावित बी.ए.आर. के एवज में आप द्वारा निम्न Split Location स्थान पर EWS/LIG आवास प्रस्तावित किये गये हैं:-

परियोजना में प्रस्तावित कुल आवासीय बी.ए.आर.:-29,652.65 व.मी.

प्रस्तावित कुल आवासीय बी.ए.आर. का 5 प्रतिशत = 1482.63 व.मी.

KajKaj Re
11820357

Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2024.11.18 15:34:00 IST
Reason: Approved

क्र.सं.	Split Location	आवासों की संख्या	क्षेत्रफल
1.	खसरा नम्बर 570, 571, 572, ग्राम राजावास, तहसील आमेर, सीकर रोड़, जयपुर। भवन मानचित्र जारी दिनांक-18.09.2019	45 EWS (33.50 वर्गमी./ 360.67 वर्गफीट प्रति यूनिट क्षेत्रफल)	1507.87 वर्गमी. (16230.60 वर्गफीट)
	प्रस्तावित कुल EWS आवासों की संख्या व क्षेत्रफल	45 EWS	1507.87 वर्गमी. (16230.60 वर्गफीट)

5. आप द्वारा प्रश्नगत परियोजना पर प्रस्तावित सम्पूर्ण बी.ए.आर. की एवज में उपरोक्त Split location पर प्रस्तावित किये गये कुल 45 ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों की निर्माण अवधि पूर्व में दिनांक 18.04.2023 को भवन निर्माण स्वीकृति अनुसार 30 माह तक की अवधि में पूर्ण किया जाकर सूचना इस प्रकोष्ठ को दी जानी होगी।

6. भवन मानचित्र जारी किये जाने की दिनांक से 60 दिवस की अवधि में उक्त EWS/LIG फ्लैट्स हेतु नियमानुसार आवेदन आमंत्रित किया जाना आवश्यक होगा एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटन किया जावेगा।

7. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (14 मानचित्र)

भवदीया,
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (14 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- उपायुक्त जोन-07, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (14 मानचित्र) संलग्न कर लेख है कि भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.1 (बहुमंजिला भवनों हेतु) के क्रम में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढीकरण (Upgradation) हेतु विकास योजनाएँ तैयार किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
- मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड़, रेल्वे हॉस्पिटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
- उपायुक्त राजस्व-प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 60/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
- चीफ एयरपोर्ट अधिकारी, जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

RajKaj Ref
11820357

Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2024.11.18 15:34:00 IST
Reason: Approved

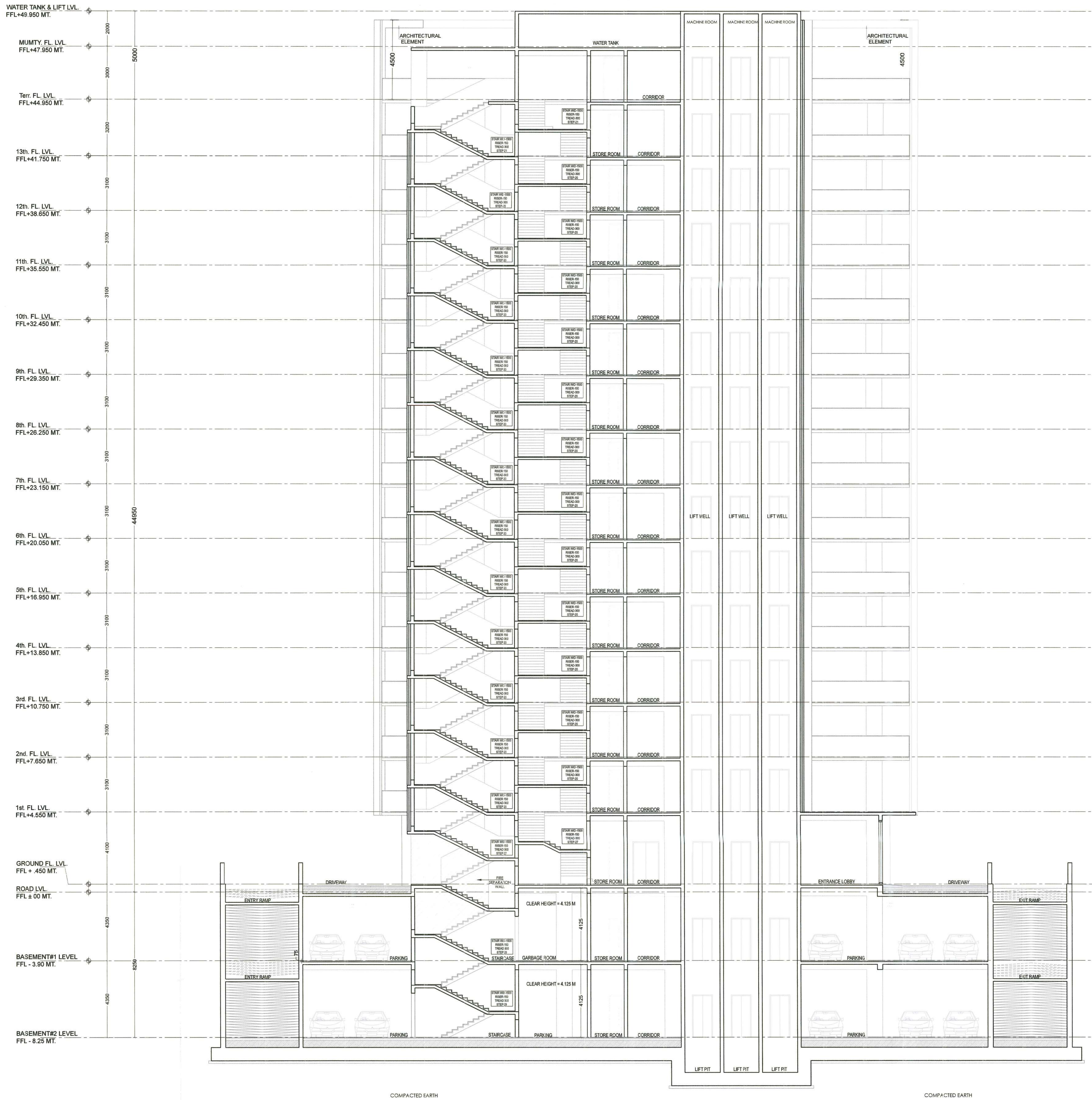


उपनगर नियोजन (3P)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अभिषेक भार्गव नियोजक
नवम मानविक चर्चित
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अभिषेक भार्गव
अभिषेक भार्गव नियोजक
नवम मानविक चर्चित
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

यह दस्तावेज एक नया भवन निर्माण के लिए है।
इसमें निर्माण के लिए आवश्यक सभी विवरण दिए गए हैं।
इस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें और निर्माण के लिए आवश्यक सभी विवरण नोट करें।
इस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें और निर्माण के लिए आवश्यक सभी विवरण नोट करें।



SECTION - BB

अभिषेक भार्गव
अभिषेक भार्गव नियोजक
नवम मानविक चर्चित
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अभिषेक भार्गव
अभिषेक भार्गव नियोजक
नवम मानविक चर्चित
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

DRAWING TITLE:-
SECTION - BB

PROJECT TITLE:-
PROPOSED GROUP HOUSING PROJECT ON
KHASRA NO. 362/183 AT KANAKPURA,
TEH. JAIPUR, DIST. JAIPUR

STUDIO SAARTH
ARCHITECT / URBAN DESIGNER

A/C - 424 KING'S ROAD, NIRMAN NAGAR
JAIPUR - 302019, RAJASTHAN

SCALE 1:100
DATE - 18.05.2024

NORTH POINT
A N

अभिषेक भार्गव
अभिषेक भार्गव नियोजक
नवम मानविक चर्चित
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अभिषेक भार्गव
अभिषेक भार्गव नियोजक
नवम मानविक चर्चित
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

OWNER

ARCHITECT

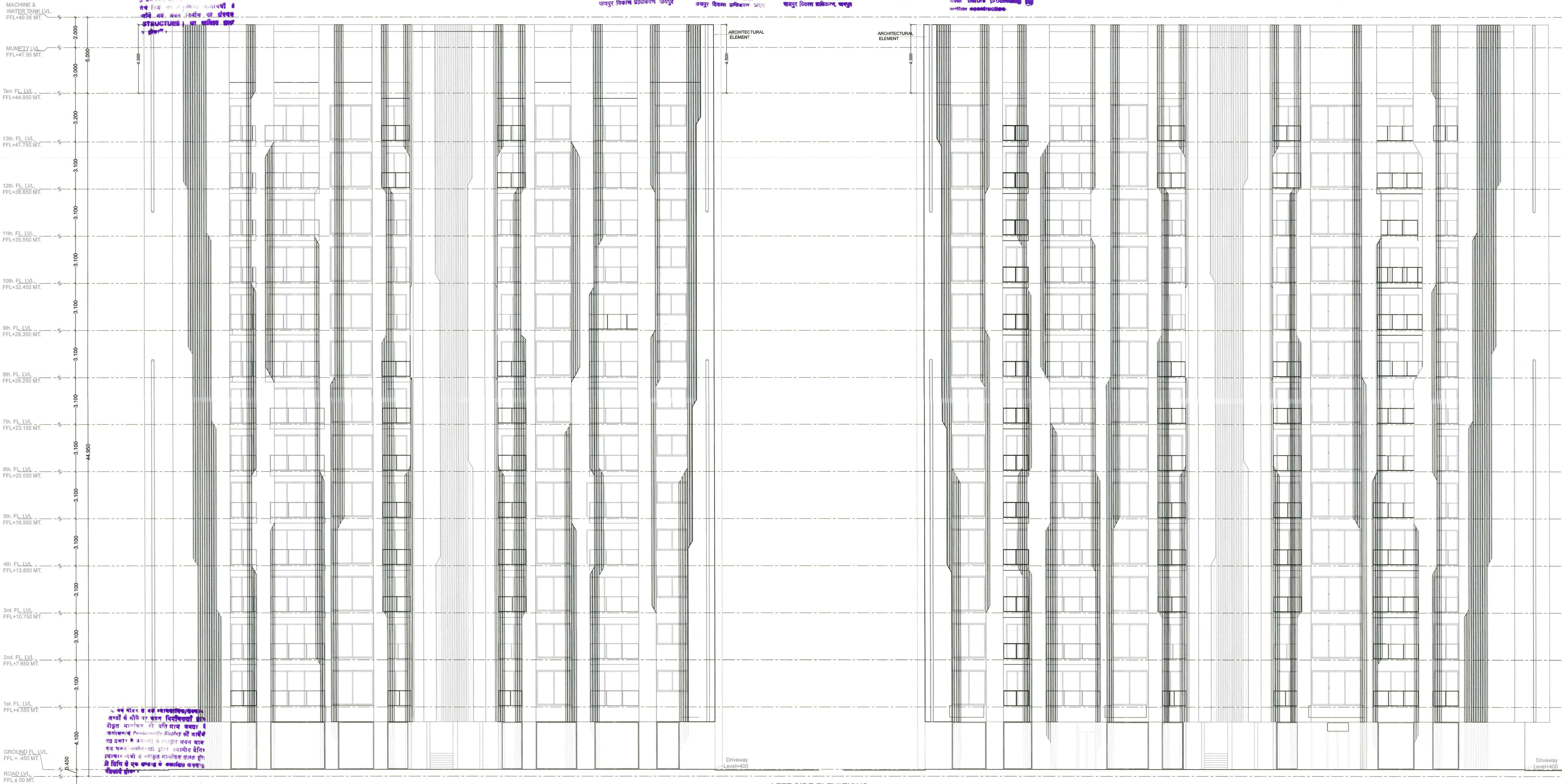
यह नक्शा का प्रस्तावित निर्माण कार्य केवल प्रारम्भिक चरण के लिए है।
अन्तिम निर्माण के लिए आवश्यक सभी विवरणों का निर्धारण आगामी चरणों में किया जाएगा।
यह नक्शा केवल प्रारम्भिक चरण के लिए है।
अन्तिम निर्माण के लिए आवश्यक सभी विवरणों का निर्धारण आगामी चरणों में किया जाएगा।
यह नक्शा केवल प्रारम्भिक चरण के लिए है।
अन्तिम निर्माण के लिए आवश्यक सभी विवरणों का निर्धारण आगामी चरणों में किया जाएगा।

उपनगर नियोजन (UP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

महोदय भूपर नियोजक
महानगर जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

संविदा मुद्रा नगर नियोजक
महानगर जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Construction checked at site.
Level before proceeding for
construction.



LEFT SIDE ELEVATIONS

DRAWING TITLE:-

LEFT SIDE ELEVATION

PROJECT TITLE:-

PROPOSED GROUP HOUSING PROJECT ON
KHASRA NO. 362183 AT KANAKPURA,
TEH-JAIPUR, DIST.- JAIPUR

STUDIO SAARTH

ARCHITECT / URBAN DESIGNER

A/C -424 KING'S ROAD, NIRMAN NAGAR
JAIPUR - 302019 , RAJASTHAN

SCALE 1:100

DATE :- 18.05.2024

NORTH POINT

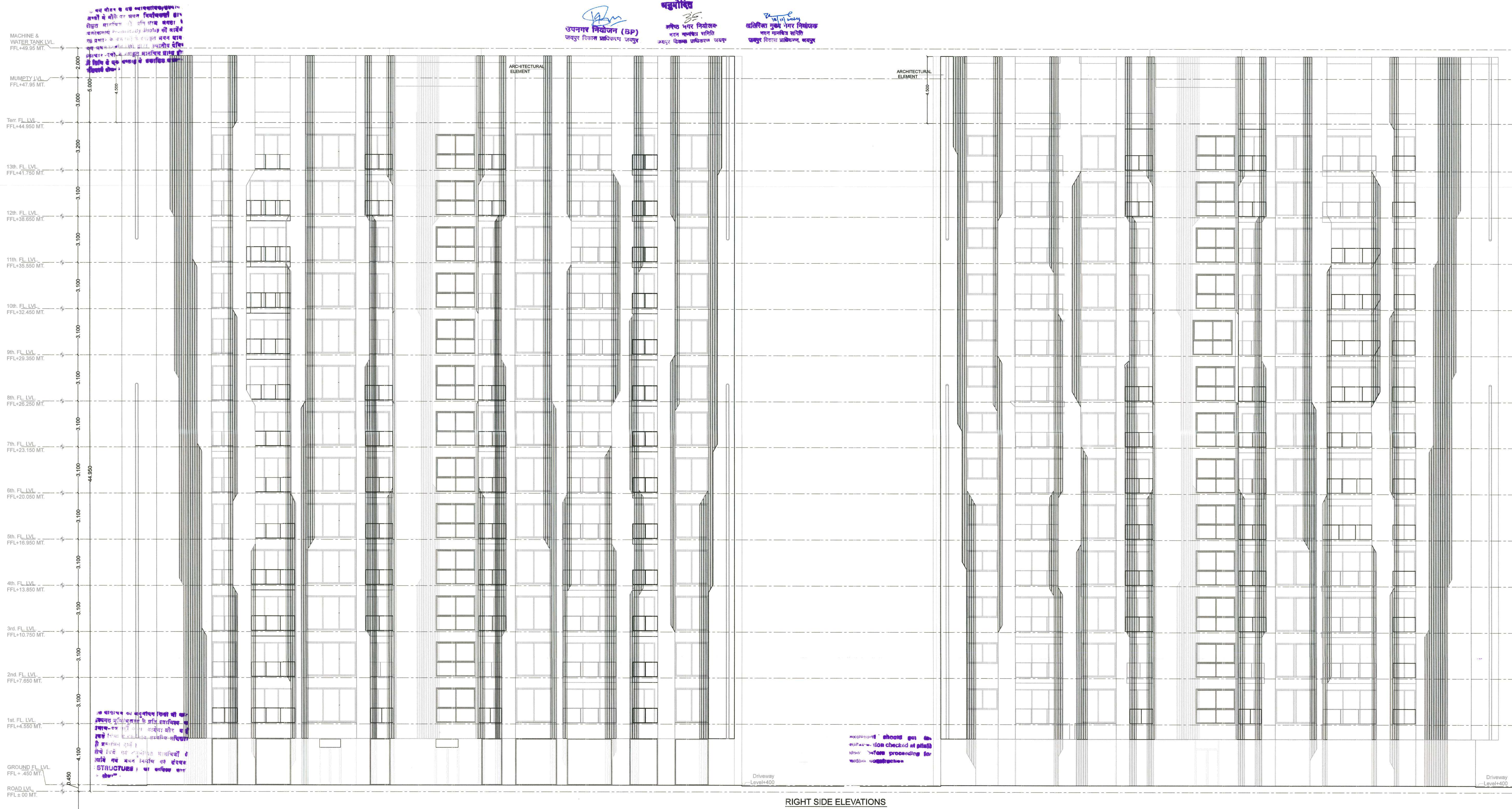


Reg. No. U
CA/2005/35530

AR. PUNEET DUA
CA/2005/35530

OWNER

ARCHITECT



DRAWING TITLE:- RIGHT SIDE ELEVATION	
PROJECT TITLE:- PROPOSED GROUP HOUSING PROJECT ON KHASRA NO. 362/183 AT KANAKPURA, TEH.-JAIPUR, DIST.- JAIPUR	
STUDIO SAARTH ARCHITECT / URBAN DESIGNER	
A/C -424 KING'S ROAD ,NIRMAN NAGAR JAIPUR - 302019 , RAJASTHAN	
SCALE 1:100	NORTH POINT N
DATE :- 18.05.2024	
OWNER	
ARCHITECT	

DR. PUNEET DUA
CA/2005/35530

AR. PUNEET DUA
CA/2005/35530

[illegible]

उपनगर निगम (BP)
जनपद विकास प्राधिकरण, जयपुर

अनुमोदित
अपेक्षित भवन निर्माण
नगर मानविक समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य/नगर नियोजक
नगर मानविक समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

MACHINE & WATER TANK LVL.
FFL+49.950 MT.

MUMETY LVL.
FFL+47.95 MT.

Terr. FL. LVL.
FFL+44.950 MT.

13th. FL. LVL.
FFL+41.750 MT.

12th. FL. LVL.
FFL+38.650 MT.

11th. FL. LVL.
FFL+35.550 MT.

10th. FL. LVL.
FFL+32.450 MT.

9th. FL. LVL.
FFL+29.350 MT.

8th. FL. LVL.
FFL+26.250 MT.

7th. FL. LVL.
FFL+23.150 MT.

6th. FL. LVL.
FFL+20.050 MT.

5th. FL. LVL.
FFL+16.950 MT.

4th. FL. LVL.
FFL+13.850 MT.

3rd. FL. LVL.
FFL+10.750 MT.

2nd. FL. LVL.
FFL+7.650 MT.

1st. FL. LVL.
FFL+4.550 MT.

GROUND FL. LVL.
FFL+ 450 MT.

ROAD LVL.
FFL ± 00 MT.

ARCHITECTURAL ELEMENT

Driveway Level+400

TOWER-A
FRONT ELEVATION

उपनगर निगम (BP)
जनपद विकास प्राधिकरण, जयपुर

अनुमोदित
अपेक्षित भवन निर्माण
नगर मानविक समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य/नगर नियोजक
नगर मानविक समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

MACHINE & WATER TANK LVL.
FFL+49.950 MT.

MUMETY LVL.
FFL+47.95 MT.

Terr. FL. LVL.
FFL+44.950 MT.

13th. FL. LVL.
FFL+41.750 MT.

12th. FL. LVL.
FFL+38.650 MT.

11th. FL. LVL.
FFL+35.550 MT.

10th. FL. LVL.
FFL+32.450 MT.

9th. FL. LVL.
FFL+29.350 MT.

8th. FL. LVL.
FFL+26.250 MT.

7th. FL. LVL.
FFL+23.150 MT.

6th. FL. LVL.
FFL+20.050 MT.

5th. FL. LVL.
FFL+16.950 MT.

4th. FL. LVL.
FFL+13.850 MT.

3rd. FL. LVL.
FFL+10.750 MT.

2nd. FL. LVL.
FFL+7.650 MT.

1st. FL. LVL.
FFL+4.550 MT.

GROUND FL. LVL.
FFL+ 450 MT.

ROAD LVL.
FFL ± 00 MT.

ARCHITECTURAL ELEMENT

Driveway Level+400

MACHINE & WATER TANK LVL.
FFL+49.950 MT.

MUMETY LVL.
FFL+47.95 MT.

Terr. FL. LVL.
FFL+44.950 MT.

13th. FL. LVL.
FFL+41.750 MT.

12th. FL. LVL.
FFL+38.650 MT.

11th. FL. LVL.
FFL+35.550 MT.

10th. FL. LVL.
FFL+32.450 MT.

9th. FL. LVL.
FFL+29.350 MT.

8th. FL. LVL.
FFL+26.250 MT.

7th. FL. LVL.
FFL+23.150 MT.

6th. FL. LVL.
FFL+20.050 MT.

5th. FL. LVL.
FFL+16.950 MT.

4th. FL. LVL.
FFL+13.850 MT.

3rd. FL. LVL.
FFL+10.750 MT.

2nd. FL. LVL.
FFL+7.650 MT.

1st. FL. LVL.
FFL+4.550 MT.

GROUND FL. LVL.
FFL+ 450 MT.

ROAD LVL.
FFL ± 00 MT.

ARCHITECTURAL ELEMENT

Driveway Level+400

TOWER-A
POOLSIDE ELEVATION

DRAWING TITLE:- (TOWER-A)
FRONT AND POOLSIDE ELEVATION

PROJECT TITLE:-
PROPOSED GROUP HOUSING PROJECT ON
KHASRA NO. 362/183 AT KANAKPURA,
TEH.-JAIPUR, DIST.- JAIPUR

STUDIO SAARTH
ARCHITECT / URBAN DESIGNER

A/C -424 KING'S ROAD ,NIRMAN NAGAR
JAIPUR - 302019 , RAJASTHAN

SCALE 1:100
DATE - 18.05.2024

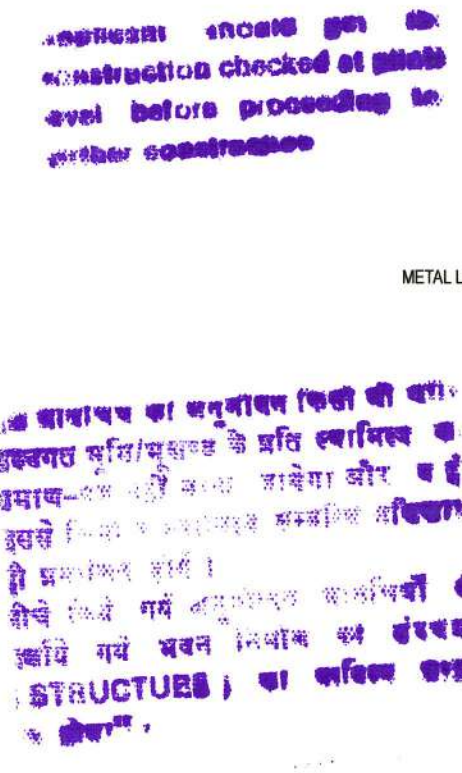
NORTH POINT
N

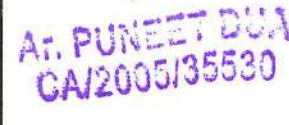
Reg. No. AAY-1893

AR. PUNEET DUA
CA/2005/35530

OWNER

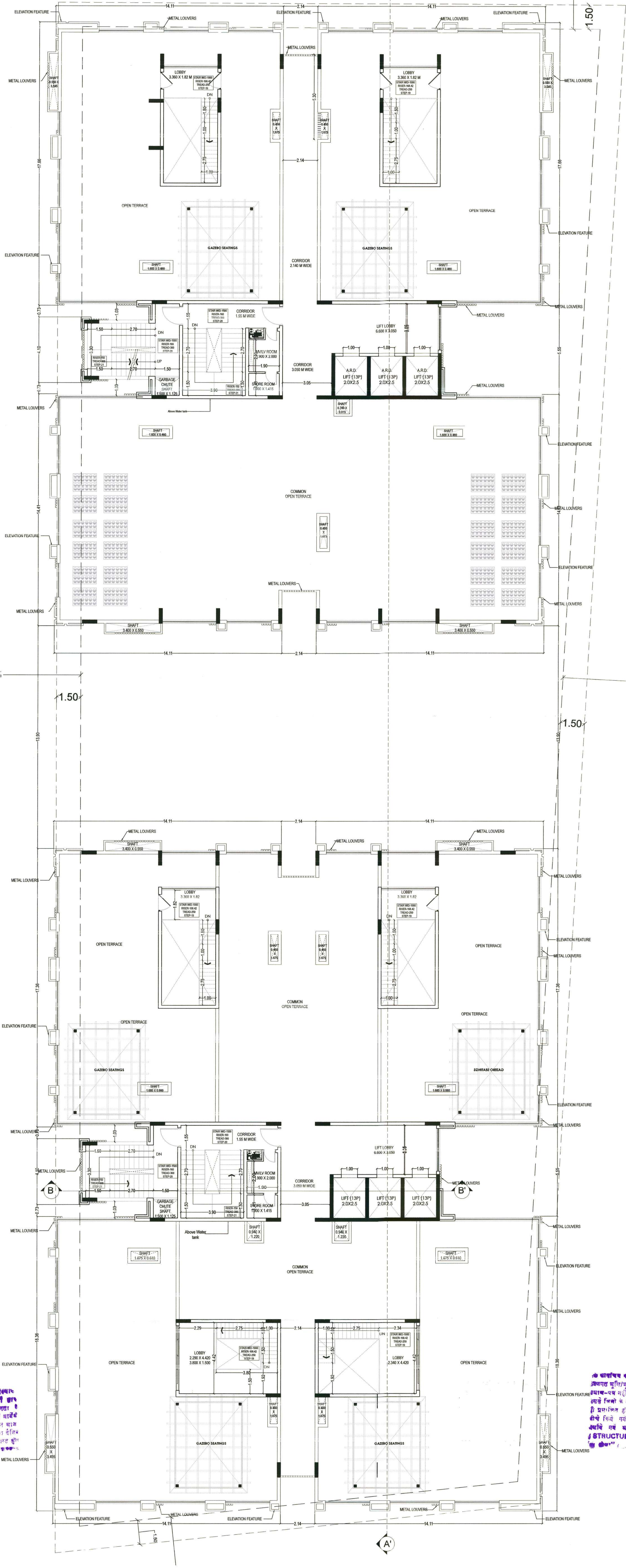
ARCHITECT

[illegible]

DRAWING TITLE:-	
MUMPLY PLAN	
PROJECT TITLE:-	
PROPOSED GROUP HOUSING PROJECT ON KHASRA NO. 362/183 AT KANAKPURA, TEH. -JAIPUR, DIST.- JAIPUR	
STUDIO SAARTH ARCHITECT / URBAN DESIGNER	
A/C -424 KING'S ROAD ,NIRMAN NAGAR JAIPUR - 302019 , RAJASTHAN	
SCALE 1:100 DATE > 18.05.2024	NORTH POINT 
 	  AR. PUNEET DUA CA/2005/35530

बज्जोरि
नियोजन (BP)
नियोजन (BP)
नियोजन (BP)
नियोजन (BP)

नियोजन (BP)
नियोजन (BP)
नियोजन (BP)
नियोजन (BP)



नियोजन (BP)
नियोजन (BP)
नियोजन (BP)
नियोजन (BP)

नियोजन (BP)
नियोजन (BP)
नियोजन (BP)
नियोजन (BP)

DRAWING TITLE:-
TERRACE FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-
PROPOSED GROUP HOUSING PROJECT ON
KHASRA NO. 382/183 AT KANAKPURA,
TEH.-JAIPUR, DIST.- JAIPUR

STUDIO SAARTH
ARCHITECT / URBAN DESIGNER

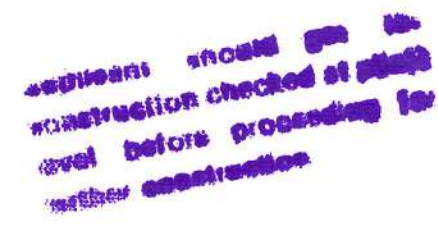
A:C -424 KING'S ROAD .NIRMAN NAGAR
JAIPUR - 302019 , RAJASTHAN

SCALE 1:100
DATE :- 18.05.2024

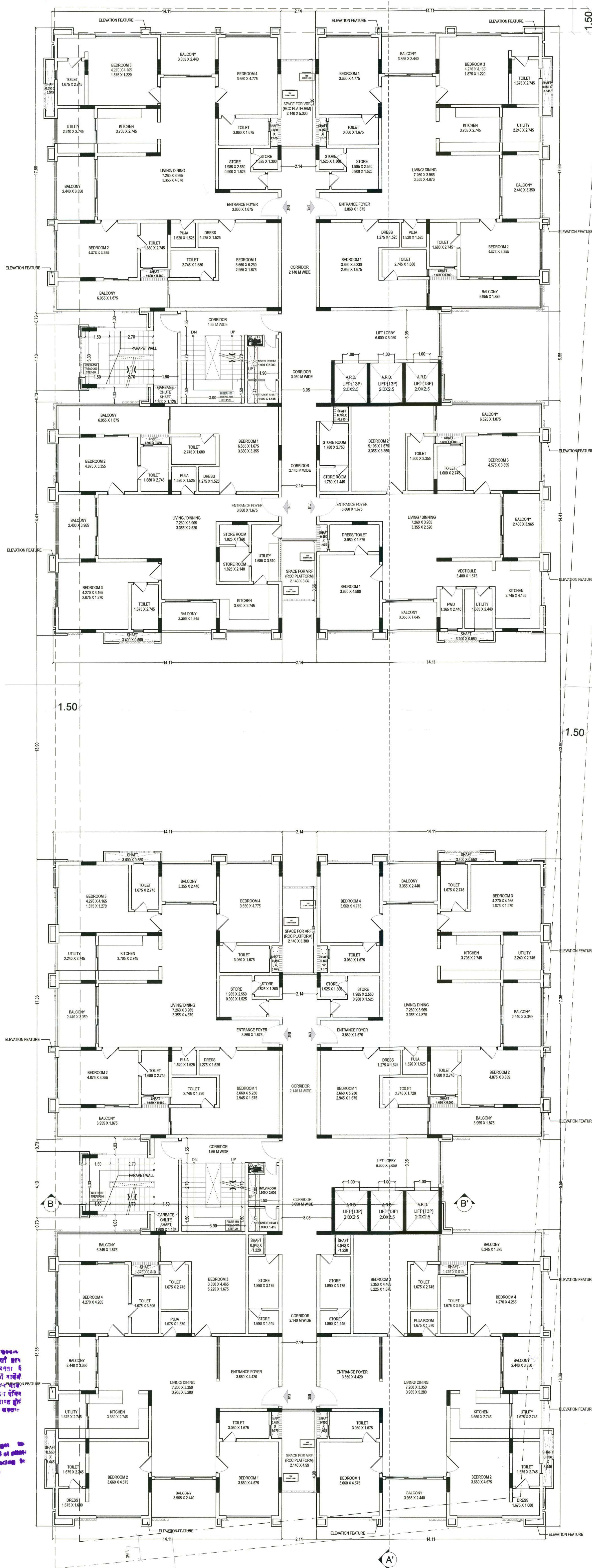
NORTH POINT
A (N)

OWNER

ARCHITECT
AR. PUNEET DUA
CA/2005/35530



● एक बीजक व दसि व्यावसायिक/व्यवसायिक
बीजक माध्यम की प्रति प्राप्त करना है
यसका कार्य symmetrically display की मायने
में प्रसार की प्रणाली के माध्यम प्रसार
में प्रसार के माध्यम द्वारा प्रसार देना
अथवा प्रसार के माध्यम प्रसार प्रसार
की प्रणाली के माध्यम प्रसार प्रसार
प्रसार प्रसार

[illegible]

workshops should get to construction checked at plant level before proceeding to further construction.

के वावाचक है। अनुवाचक किसी की उक्ति
 उद्देश्यगत सूक्ति/वाक्यक के द्वारा स्थापित है।
 इसका-यह नहीं माना आयेगा और न
 इसके किसी के स्थापित करनेवाले अर्थवाचक
 हैं प्रमाणित हुए।
 तोके किये गए अनुवाचक वाक्यवाचक
 इसके यहाँ अपने निर्वाक के संरचना
 (STRUCTURE) का वाचक

DRAWING TITLE:-
TYPICAL FLOOR PLAN
(FIRST TO TWELFTH FLOOR)

PROJECT TITLE:-
PROPOSED GROUP HOUSING PROJECT ON
KHASRA NO. 362/183 AT KANAKPURA,
TEH.-JAIPUR DIST.- JAIPUR

STUDIO SAARTH
ARCHITECT / URBAN DESIGNER

A:C -424 KING'S ROAD .NIRMAN NAGAR
JAIPUR - 302019 , RAJASTHAN

SCALE 1:100

DATE :- 18.05.2024

POINT

TMV INFRA HEIGHTS LTD
Reg. No. AA-1863

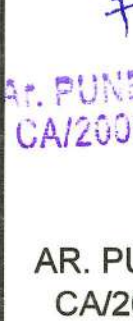
₹

AR. PUNEET DUN
CA/2005/35530

AR. PUNEET DUA
CA/2005/35530

OWNER

ARCHITECT

DRAWING TITLE: GROUND FLOOR PLAN	
PROJECT TITLE: PROPOSED GROUP HOUSING PROJECT ON PLOT NO. 362/1B AT KANAKPURA TEH-JAIPUR DIST.- JAIPUR	
STUDIO SAARTH ARCHITECT / URBAN DESIGNER	
A/C 424 KING'S ROAD, NIRMAL NAGAR JAIPUR - 302019, RAJASTHAN	
SCALE 1:100 DATE - 18.05.2024	NORTH POINT 
	
AR. PUNEET DUA CA/2005/35530	AR. PUNEET DUA CA/2005/35530
OWNER	ARCHITECT

